प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 21 सितम्बर, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा-एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सं0-88/आई0टी0सेल/2021-22, दिनांक 12.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा-एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में व्यवस्था लागू है। भारत सरकार के पत्र सं0-33-35/2021-एम.आई.डी.एच.(ए.ए.पी.),दिनांक 30.06.2021 के प्रस्तर सं0-4, 5 एवं 6 में दिये गये निर्देशों के क्रम में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था की जाती हैः-

1- क्षेत्र विस्तार फलदार बीजू/कलमी पौध की व्यवस्था-

रोपण सामग्री (पौध, बल्ब) की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय नर्सरियों/पौधशालाओं, नेशनल हर्टीकल्चर बोर्ड (एन0एच0बी0) द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रमाणित नर्सरियों/पौधशालाओं, प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत नर्सरियों/पौधशालाओं, आई.सी.ए.आर., राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों से क्रय कर लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित की जायेगी।

2- टिश्यू कल्चर केला पौध की व्यवस्था-

रोपण सामग्री टिश्यू कल्चर केला पौध (जी-9) की व्यवस्था भारत सरकार की बायोटेक्नॉलाजी विभाग से एन.सी.एस.-टी.सी.पी. प्रमाण पत्र प्राप्त टिशूकल्चर प्रयोगशालाओं/संस्थाओं से क्रय कर प्रदेश के लाभार्थी कृषकों को इन्पुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के निर्देशानुसार खुली एवं पारदर्शी निविदा के माध्यम से टिशूकल्चर केला के क्षेत्र में उत्पादन कर रही संस्थाओं से न्यूनतम दरें प्राप्त कर इम्पैनल्ड किया जायेगा तथा इम्पैनल्ड संस्थाओं से उनके पास विभागीय तकनीकी मानक के अनुसार उपलब्ध सीमा तक क्रय कर योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा।

3- संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज की व्यवस्था-

संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु केन्द्रीय/राज्य बीज उत्पादन संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा-राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान-एन.एच.आर.डी.एफ. (केवल प्याज एवं लहसुन बीज हेतु), नेशनल सीड कारपोरेशन (एन.एस.सी.), भारतीय बीज विकास निगम, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) भी शामिल हो, से खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक दरें निविदा के माध्यम से प्राप्त कर न्यूनतम दर पर इम्पैनल्ड करते हुए क्रय किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा।

4- औषधीय फसलों हेतु बीज एवं पौध की व्यवस्था-

रोपण सामग्री (पौध, बीज, बल्ब) की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय नर्सरियों/पौधशालाओं नेशनल हर्टीकल्चर बोर्ड (एन0एच0बी0) द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रमाणित नर्सरियों/ पौधशालाओं, प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत

http://shasanadesh.up.gov.in

नर्सरियों/ पौधशालाओं, आई.सी.ए.आर., राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा केन्द्र सरकार की अधिकृत संस्थाएं यथा-नेशनल सीड कारपोरेशन (एन.एस.सी.),भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) एवं राज्य सरकार की अधिकृत संस्थाएं यथा-भारतीय बीज विकास निगम, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉपेड) से खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक दरें निविदा के माध्यम से प्राप्त कर इम्पैनल्ड करते हुए क्रय कर लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/ काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित की जायेगी।

5- पुष्प के बीज/बल्ब की व्यवस्था-

रोपण सामग्री (पौध, बीज, बल्ब) की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय नर्सरियों/पौधशालाओं नेशनल हर्टीकल्चर बोर्ड (एन0एच0बी0) द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रमाणित नर्सरियों/ पौधशालाओं, प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत नर्सरियों/ पौधशालाओं, आई.सी.ए.आर., राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा केन्द्र सरकार की अधिकृत संस्थाएं यथा-नेशनल सीड कारपोरेशन (एन.एस.सी.),भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) एवं राज्य सरकार की अधिकृत संस्थाएं यथा-भारतीय बीज विकास निगम, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉपेड) से खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक दरें निविदा के माध्यम से प्राप्त कर इम्पैनल्ड करते हुए क्रय कर लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/ काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित की जायेगी।

6- बायोफर्टिलाइजर/बायोपेस्टिसाइड/बायोएजेन्ट-

केन्द्रीय एवं राज्य के संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा- नेशनल सीड कारपोरेशन (एन.एस.सी.), भारतीय बीज विकास निगम, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) भी शामिल हो, से खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक दरें निविदा के माध्यम से प्राप्त कर न्यूनतम दर पर इम्पैनल्ड करते हुए क्रय किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा।

7- वर्मी कम्पोस्ट/नीम केक-

केन्द्रीय एवं राज्य के संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा- नेशनल सीड कारपोरेशन (एन.एस.सी.), भारतीय बीज विकास निगम, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) भी शामिल हो, से खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक दरें निविदा के माध्यम से प्राप्त कर न्यूनतम दर पर इम्पैनल्ड करते हुए क्रय किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/ काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा।

8- प्लास्टिक क्रेट्स-

केन्द्रीय एवं राज्य के संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा-नेशनल सीड कारपोरेशन (एन.एस.सी.), भारतीय बीज विकास निगम, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) भी शामिल हो, से खुली एवं पारदर्शी निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कर न्यूनतम दर पर इम्पैनल्ड करते हुए क्रय किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में रोपण सामग्री एवं अन्य कृषि निवेशों पर देय अनुदान प्रदेश के पंजीकृत/चयनित कृषकों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे भुगतान किये जाने/उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश सं0-912/58-2016-118/2016, दिनांक 07.04.2016, शासनादेश सं0-14/2017- 1348/58-2017-118/2016, दिनांक 10.07.2017, शासनादेश सं0-39/2018-1419/58-2018- 118/2016, दिनांक 26.06.2018, शासनादेश सं0-24/2019-1017/58-2019-118/2016, दिनांक 04.06.2019 एवं शासनादेश सं0-47/2020-1408/58-2020-118/2016, दिनांक 24.09.2020 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप यथावत् लागू रहेंगे। उपरोक्तानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

संख्या- 53/2021-1588(1)/58-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in